


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमीचन्द बनाम लिछमण मु0नं0 09/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज सायं 05.00 बजे लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: center;">  17/9/2021 (बाबूलाल गोयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर </p>	

9
2020



2020/00215

09/15

श्री प्रकाश मी.
श्री प्रकाश पं. श्री
श्री
25/1/15

श्री
श्री प्रकाश मी.
श्री प्रकाश पं. श्री
श्री

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर

नेमीचन्द उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज0)

अपीलान्त

बनाम

- 1- लिख्मण राम उम्र 72 वर्ष पुत्र दुल्लाराम जाति जाट निवासी पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज0)
- 2- तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज0)

रेस्पोंडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर प्रकरण संख्या 64/2014 बउनवानी लिख्मण राम बनाम तहसीलदार दिनांकित 26.05.2015

मान्यवर महोदय,

सादर निवेदन है कि अपील के संक्षेप तथ्य अग्रलिखित है - कि वाकै ग्राम पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के आराजी खसरा संख्या 49 रकबा 4.028 हैक्टर में से 0.19 हैक्टर गैर मु., खसरा संख्या 48 रकबा 3.66 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर गैर मु., खसरा संख्या 55 रकबा 2.00 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर गैर मु., रास्ता एवं इसी तरह से आराजी खसरा नम्बर 58 में रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें अपीलान्त का खेत खसरा संख्या 55 जिसमें गैर मुमकिन रास्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 49 रकबा 4.02 हैक्टर में से 0.10

नेमीचन्द